

# विधिक जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम



माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संगीन अपराध है, जिसके लिए ₹5000 का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।

बनें जागरूक बानें अधिकार

वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए एल्डर लाइन 14567 पर टोल फ्री कॉल करें या [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in) पर जाएं



न्याय विभाग  
DEPARTMENT OF  
JUSTICE

सत्यमेव जयते

समाज की पगड़ी बुजुर्ग, इन्हें सम्मान से जीने दो  
काटो मत पेड़ों को, छाँव अभी रहने दो